



के कानूनन नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में किसी प्रकार का आदेश जारी किया जाना विधिसंगत नहीं रहेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 111, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण  
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 10/11/2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण  
(जिला-ब्यावर)